

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला
राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती विन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 103/2023

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 28.08.2023

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

--:अनवान:-

1. कैलाश चन्द्र पिता उंकार लाल जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. अशोक पुत्री उंकार लाल जी पत्नी शान्ति लाल जी जाति ब्राह्मण निवासी गवारडी हाल निवासी रुन्डेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
3. काली बाई पत्नी उंकार जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. गोरधन लाल पिता कजोडमल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. शंकर लाल पिता कजोडमल जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
वास्ते,
तहसीलदार रेलमगरा

.....विपक्षीगण

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 4528/2624 रकबा 0.1295 है.भूमि ग्राम गवारडी पटवार हल्का गवारडी तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा संपूर्ण नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढी 1000/- रुपये अक्षरे. एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(विन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद

